1

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AB 884690

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद

अमीर हसन आज़की मसऊदिया
मुबारका समिति
बहराइच
रजि = 37181
स्मृति-पत्र

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

61AB 884691

कार्यालय निबन्धक समितियां
फैजाबाद-उ० प्र०

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद
20/02/13

अमीर हसन फारुकी
मरतअदिया मुबारका समिति
बहराइच रजि = 37/81
नियमावली

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम : अमीर हसन फारूकी मसऊदिया मुबारका समिति।
2. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट इमामगंज रोड तहसील नानपारा जिला बहराइच।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :–

1. गरीबों की मदद करना, समाज के शैक्षिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये निःशुल्क कार्य करना।
2. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सबंधी जानकारी लोगो तक निःशुल्क पहुँचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
3. बालक–बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार, प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
4. केन्द्रीय विद्यालय C.B.S.E., I.C. S.E., N.C.E.R.T.,एंव शिक्षा परिषद से मान्यता लेना एंव विद्यालयों की स्थापना एंव संचालन करना।
5. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तबकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देकर राष्ट्र के विकास में निःशुल्क सहयोग करना। शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिये समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु निःशुल्क प्रयास करना।
6. शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों/महाविद्यालयों/आवासी विद्यालयों/विकलांग विद्यालयों/मूक–बधिर विद्यालय/अल्पसंख्यक विद्यालय/ कालेजो इत्यादि की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
7. बालक–बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण, वर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
8. छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।
9. घातक संक्रमक बीमारियों जैसे टी.बी., एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पीलिया, हेपेटाइटिस–बी, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि महामारी के प्रति लोगों को जागरूक व टीकाकरण कराना। लगाने का भरसक प्रयास करना।
10. कमजोर तथा निर्बल वर्ग के लोगों, महिलाओं तथा विकलांगो के लिये विशेष शिल्पकला, चित्रकला, सिलाई–कढ़ाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।
11. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबर्ड, कपार्ट, आबार्ड, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिफ्सा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सेम इण्डिया, केयर राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा डूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व वन्य जीव संरक्षण, साइट सेवर्स, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय विकलांग कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना। इत्यादि द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन करना एवं अनुदान प्राप्त करना।
12. जिला अल्पसंख्यक विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड दिल्ली, यू0पी0 बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद
20/02/13

13. आर0 सी0 एच0 कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व जच्चा बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच आदि की व्यवस्था करना।

14. समाज के युवक/युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, शिल्प कला, हस्तशिल्प कला, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, फैशन शो एवं डान्स कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन डिज़ाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फलावर मेकिंग, कम्प्यूटर, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिन्टिंग, पेन्टिंग, वाल पेन्टिंग, इन्टीरियर डिज़ाईनिंग आदि का प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

15. जनकल्याण हेतु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना तथा गरीबों का मुफ्त इलाज करना।

16. गरीबों एवं असहाय लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

17. नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, म्यूजिक टीचर्स ट्रेनिंग,आर्ट टीचर्स ट्रेनिंग, जूनियर टीचर ट्रेनिंग, कम्प्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग, गेम टीचर्स ट्रेनिंग एंव अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन करना।

18. नागरिको के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कायक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय--समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाने में सहयोग करना

19. युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना तथा संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उसका निःशुल्क संचालन करना।

20. वृक्षारोपक्ष, पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।

21. गरीब एवं असहाय बालक/बालिकाओं की शादी विवाह करवाने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

22. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आगजनी, एक्सीडेन्ट आदि के समय पीड़ित जनता के मध्य राहत कार्य करना, उन्हें दवा, भोजन वस्त्र व वित्तीय मदद पहुँचाना तथा उनके पुर्नवास की समुचित व्यवस्था करना।

23. गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब एवं अन्य मद्यपान के विषय में लोगों को जागरूक करना तथा इनसे होने वाली घातक बीमारियों के बारे में बताना एवं इसको रोकने का भर्सक प्रयास करना।

24. ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास तथा स्वास्थ्स एवं स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना ~~तथा कम लागत से आवास निर्माण~~ सम्बन्धी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुँचाना।

25. जड़ी बूटियों के उत्पादन एवं उनके रख रखाव से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा उसके बारे में ग्रामीण जनता को अवगत कराना।

26. प्रजनन एंव बाल विकास (आर.सी.एच.) सम्बन्धी कार्यक्रम का संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम पते एंव पद जिनको सोसाइटी नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया।

क्र.	नाम पिता/पति	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री अली हसन पुत्र श्री अमीर हसन	मोहल्ला तिवारी गांव तहसील भिन्गा जिला श्रावस्ती।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री अतीक अहमद पुत्र श्री अहमद हसन	मोहल्ला राजा बाजार तहसील नानपारा जिला बहराइच।	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री फुरकान फारूकी पुत्र श्री अली हसन	ग्राम व पोस्ट तिवारी गाँव तहसील भिन्गा जिला श्रावस्ती।	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्रीमती शकुन्तला मौर्या पत्नी ब्रह्मानन्द मौर्या	कहारन टोला इमामगंज चौराहा तहसील नानपारा जिला बहराइच।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
5.	श्रीमती नरगिस पत्नी श्री गुफरान	मोहल्ला तिवारीगांव तहसील	उपकोषाध्यक्ष	गृहणी
6.	श्रीमती नफीसा पत्नी श्री अब्बास अली	बांद्रा मुम्बई।	सदस्य	गृहणी
7.	श्रीमती मुनीरा सरकार पत्नी श्री नासिर	501–502 सरकार हेरिटेच बांद्रा बैण्ड स्टैण्ड जिला मुम्बई।	सदस्य	गृहणी
8.	श्रीमती सय्यदा तबस्सुम पत्नी जुबैर अहमद	मोहल्ला बेलदारन टोला तहसील नानपारा जिला बहराइच।	सदस्य	गृहणी
9.	श्री भीमसेन चौधरी पुत्र वीरसेन चौधरी	कहारन टोला इमामगंज चौराहा तहसील नानपारा जिला बहराइच।	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्रीमती सय्यदा तबस्सुम पत्नी अय्यूब खाँ	ग्राम व पोस्ट गुरगुट्टा तहसील नानपारा जिला बहराइच।	सदस्य	गृहणी
11.	श्री फरीद अहमद पुत्र श्री नूर अहमद खाँ	मोहल्ला किला तहसील नानपारा जिला बहराइच।	सदस्य	समाजसेवा

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद
20/02/13

6.हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,सन् 1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते हैं:–

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक: 1-2-13

हस्ताक्षर

शकुन्तला मौर्या
Muneera sarkar
सय्यदा तबस्सुम
नफीसा
Ateeq Ahmad
भीमसेन चौधरी
नरगिस
फरीद अहमद

नियमावली

1. संस्था का नाम : अमीर हसन फारूकी मसऊदिया मुबारका समिति।
2. संस्था का पता : ग्राम व पोस्ट इमामगंज रोड तहसील नानपारा जिला बहराइच।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता एंव सदस्यों के वर्ग :–

आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 1000/–रूपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

सामान्य सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :–

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।
5. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
6. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
7. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
8. प्राथमिक सदस्य अवधि में अनुशासनहीनता एवं अनैतिक कार्य में लिप्त होने पर।

6. संस्था के अंग :– 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा गठन, बैठक, कोरम, सूचना तथा कार्य :–

गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकें :– साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक किसी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :– साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति :– साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

वार्षिक अधिवेशन :– साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के कर्तव्य :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :–

गठन :– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी का गठन किया होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबंधक एक, कोषाध्यक्ष एक, उपकोषाध्यक्ष एक तथा छः सदस्य सहित कुल

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद
20/02/13

संख्या–11होगी।

बैठकें :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहुति की जा सकती सकती है।

सूचना अवधि :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा।

रिक्त स्थान की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य :–

1. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एंव विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग तथा भूमि–भवन दान स्वरूप दान प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।
5. संस्था के उद्देश्य के पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के बैंको एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों, प्राइवेट बैंकों आदि से ऋण प्राप्त करना एवं समिति की सम्पत्ति को बंधक रखना।

कार्यकाल :– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

अध्यक्ष

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
4. संस्था के बैठकों की सूची प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

प्रबंधक

1. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
2. बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना।
3. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यकरना।
4. पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
5. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
6. कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति, पदोन्नति, एवं सेवा मुक्त करना।
7. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
8. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
9. बिल एवं बाउचरों पर हसताक्षर करना।
10. आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।
11. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभाग/मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों, लेखों–विलोखों पर हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद
20/02/13

Muneera Bargat
Ateeq Ahmad
भीमसेन चौधरी
नरगिस

12. चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व देखरेख करना।
13. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
14. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
15. संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।
16. सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना तथा उसकी रसीद देना।

कोषाध्यक्ष
1. आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
2. सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।
3. प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

उपकोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा किये गये अधिकारों का प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार कोषाध्यक्ष के कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

10. **संस्था के नियमों/विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :–**
संस्था के नियमों एवं विनियमों के संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11. **संस्था का कोष :–**
संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण प्रबंधक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. **संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :–**
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

13. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–**
संस्था द्वारा होने वाली पक्ष एंव विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबंधक अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. **संस्था के अभिलेख :–**
1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैश बुक आदि।

15. **संस्था का विघटन :–**
संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्टेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स फैजाबाद
20/02/13

दिनांक : 1-2-13

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर
20/02/13

नरगिस
Aleeq Ahmad
Mateena Sangra
भीमसेन चौधरी